



# सम्पादकीय

## बाल विवाह पर बड़ी अदालत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सख्त निर्देश देने से देश में बाल विवाह विरोधी अभियानों में अप्रत्याशित तेजी आने की उमीद बढ़ गई है। देश की सैकड़ों स्थानों संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि बाल विवाह कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के अदालती निर्देश से देश से 2030 तक बाल विवाह के खाने के लक्ष्य को पूरी तरह सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह के कारण किसी को भी अपनी मर्जी से जीवन साझी चुनने के अधिकार का पूरी तरह से हनन होता है। बच्चों के इस अधिकार को सुनिश्चित करने में जूजूदा कानून में खामियां हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह से, खासकर लड़कियों के सामने ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं। शादी के बाद एक नाबालिग लड़की से बच्चे को जन्म देने और प्रजनन क्षमता सिवे करने की उमीद की जाती है। बच्चे को जन्म देने के निर्णय लड़की से छीन लिए जाते हैं। एक बच्चे के रूप में विवाहित महिला की पसंद और स्वयंत्रता का अधिकार बाल विवाह की प्रणाली द्वारा छीन जाता है। बाल विवाह करा कर नाबालिग लड़कियों को वैवाहिक संबंध बनाने के लिए मजबूत करने से वे तनाव छोलने को मजबूत होती हैं। गैर-सरकारी संगठन सेवा (सेल्फ एप्लायड वीमेंस एसोसिएशन) और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल गोराना की याचिका पर आए इस फैसले का दो सौ से अधिक संस्थाओं के संगठन बाल विवाह मुक्त भारत ने स्वागत किया है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़ी सोलापुर (महाराष्ट्र) की संस्था महात्मा फुले समाज सेवा मंडल के प्रमोटर डिंज़ुड़े के मुताबिक बाल विवाह मुक्त भारत देश के 400 से अधिक जिलों में बाल विवाह के खाने के लिए सक्रिय है। इस गढ़वाल से जुड़ी संस्थाओं ने 2023-24 में पूरे देश में 1,20,000 से भी ज्यादा बाल विवाह रुकवाया है और 50,000 बाल विवाह मुक्त गांव बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वैदिक निर्मल मनोज मिश्रा की खड़पीट ने फैसले में कहा है कि श्वाल विवाह प्रतिष्ठित अधिनियम (पीएसीए) 2006 वर्ष के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार व प्रशासन को बचाव-रोकथाम-अभियोजन रणनीति के साथ समुदाय आधारित दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है। अदालत ने स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और पंचायतों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के प्रसार का अहम जरिया बताते हुए बाल विवाह बहल इलाकों में राज्यों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के अनुरूप सेक्स एजुकेशन को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की अनुशंसा की है। इस शिक्षा में लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बाल विवाह के प्रभाव के कानूनी पहलुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी शामिल होनी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि देश में बाल विवाह की स्थिति गमीर है और उसके खिलाफ बने कानून पर अमल नहीं करके उसकी मूल भावना से खिलाफ बनाया जाए। इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रघूड़ ने कहा कि कानून सफल हो सकता है जब बहुसंघीय समर्थन हो। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण के समानता की जरूरत पर जारी देते हैं। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जड़कर रखा है और इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। साझा प्रयासों से बच्चों के लिए अहिंसक बाल विवाह जैसी बुराइयों का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता। अभियान के संस्थापक भुवन ऋष्मु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत और पूरी दुनिया के लिए नीति और अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह अपने मूल रूप में बच्चों से बलात्कार है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़े संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र रणनीति शपिकेट पर अमल कर रहे हैं, जिसमें नीति, संस्थान, समिलन, ज्ञान, परिवेश, तकनीकी जैसी चीजें शामिल हैं। अभियान के तहत विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों के साझा प्रयासों से इस अपराध के खात्मे के लिए 4.90 करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सरकारें जिला स्तर पर श्वालिल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफीसरश नियुक्त करें। इसके लिए कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेह होंगे। उनके पास उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार और जिमिदारी होगी जो बाल विवाह कराना में मदद देते या उसे सपन करते हैं। अपने क्षेत्र में विफल हो तो फिर जीवन में कोई भी काम मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह अपने मूल रूप में बच्चों से बलात्कार है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़े संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र रणनीति शपिकेट पर अमल कर रहे हैं, जिसमें नीति, संस्थान, समिलन, ज्ञान, परिवेश, तकनीकी जैसी चीजें शामिल हैं। अभियान के तहत विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों के साझा प्रयासों से इस अपराध के खात्मे के लिए 4.90 करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सरकारें जिला स्तर पर श्वालिल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफीसरश नियुक्त करें। इसके लिए कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेह होंगे। उनके पास उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार और जिमिदारी होगी जो बाल विवाह कराना में मदद देते या उसे सपन करते हैं। अपने क्षेत्र में विफल हो तो फिर जीवन में कोई भी काम मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जड़कर रखा है और इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए उनके सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। साझा प्रयासों से बच्चों के लिए अहिंसक बाल विवाह जैसी बुराइयों का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता। अभियान के संस्थापक भुवन ऋष्मु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत और पूरी दुनिया के लिए नीति और अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह अपने मूल रूप में बच्चों से बलात्कार है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़े संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र रणनीति शपिकेट पर अमल कर रहे हैं, जिसमें नीति, संस्थान, समिलन, ज्ञान, परिवेश, तकनीकी जैसी चीजें शामिल हैं। अभियान के तहत विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों के साझा प्रयासों से इस अपराध के खात्मे के लिए 4.90 करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सरकारें जिला स्तर पर श्वालिल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफीसरश नियुक्त करें। इसके लिए कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेह होंगे। उनके पास उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार और जिमिदारी होगी जो बाल विवाह कराना में मदद देते या उसे सपन करते हैं। अपने क्षेत्र में विफल हो तो फिर जीवन में कोई भी काम मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जड़कर रखा है और इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए उनके सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। साझा प्रयासों से बच्चों के लिए अहिंसक बाल विवाह जैसी बुराइयों का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता। अभियान के संस्थापक भुवन ऋष्मु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत और पूरी दुनिया के लिए नीति और अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह अपने मूल रूप में बच्चों से बलात्कार है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़े संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र रणनीति शपिकेट पर अमल कर रहे हैं, जिसमें नीति, संस्थान, समिलन, ज्ञान, परिवेश, तकनीकी जैसी चीजें शामिल हैं। अभियान के तहत विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों के साझा प्रयासों से इस अपराध के खात्मे के लिए 4.90 करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सरकारें जिला स्तर पर श्वालिल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफीसरश नियुक्त करें। इसके लिए कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेह होंगे। उनके पास उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार और जिमिदारी होगी जो बाल विवाह कराना में मदद देते या उसे सपन करते हैं। अपने क्षेत्र में विफल हो तो फिर जीवन में कोई भी काम मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जड़कर रखा है और इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए उनके सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। साझा प्रयासों से बच्चों के लिए अहिंसक बाल विवाह जैसी बुराइयों का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता। अभियान के संस्थापक भुवन ऋष्मु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत और पूरी दुनिया के लिए नीति और अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह अपने मूल रूप में बच्चों से बलात्कार है। बाल विवाह मुक्त भारत से जुड़े संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र रणनीति शपिकेट पर अमल कर रहे हैं, जिसमें नीति, संस्थान, समिलन, ज्ञान, परिवेश, तकनीकी जैसी चीजें शामिल हैं। अभियान के तहत विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों के साझा प्रयासों से इस अपराध के खात्मे के लिए 4.90 करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सरकारें जिला स्तर पर श्वालिल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफीसरश नियुक्त करें। इसके लिए कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेह होंगे। उनके पास उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार और जिमिदारी होगी जो बाल विवाह कराना में मदद देते या उसे सपन करते हैं। अपने क्षेत्र में विफल हो तो फिर जीवन में कोई भी काम मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाने की जरूरत बताई है। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जड़कर रखा है और इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए उनके सुप्रीम कोर्ट



**कोर में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ का आयोजन**



प्रयागराज। कन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन मुख्यालय परिसर में सरदार बलभाभाई पटेल की जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूती देने की दृष्टि से स्मरणोचकरूप "राष्ट्रीय एकता दिवस" (National Unity Day) के रूप में मनाया जाता है। एस. एस. नेहीं-मुख्य विजली इंजी. (P-D) कोर ने प्रातः 11 बजे कार कार्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता शपथ दिलायी। अर. एन. सिंह-प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, उपेंद्र कुमार-मुख्य विजली इंजीनियर, कल्याण सिंह-उप महाप्रबन्धक उपस्थित रहे।

**स्पेशल कैम्पेन 4.0 के अंतर्गत फोटो प्रदर्शनी का आयोजन**




प्रयागराज। 30 अक्टूबर को उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के कार्मिक विभाग द्वारा स्वच्छता और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के प्रयासों का प्रदर्शित करते हुए एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें पहले और बाद की प्रगति को दर्शाया गया। अक्टूबर 2024 में एक महीने का अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व विभान्न क्षेत्रों में सभी डिवीजनों, कार्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों के इकाई प्रमुखों और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर संबंधित रखे ने किया। विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करने और उन्नें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देने के लिए मुख्यालय में तीनों लाल अधिकारियों की एक समिति नामित की गई। परिणाम इस प्रकार हैं—प्रथम पुरस्कार—कार्मिक विभाग द्वितीय—आरपीएफ और विद्युत विभाग संयुक्त रूप से तृतीय—सिविल और मैकेनिकल विभाग संयुक्त रूप से कर्मचारियों को प्रति प्रेरित करने और उन्हें राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति प्रेरित करने के लिए डिवीजनों में भी इसी तरह का अभ्यास किया।

**एकता दौड़ एवं शपथ ग्रहण का आयोजन**



प्रयागराज। देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार बलभाभाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को पूर्वी हूं में महाप्रबन्धक कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। तरोपरांत प्रातः 11 बजे ए.के.सिन्हा, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर व प्रभारी अपर महाप्रबन्धक, उमरे, प्रयागराज द्वारा इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शपथ दिलायी गयी। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग प्रियांती उपस्थित रहे।



मुट्ठीगंज चौराहे पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुरक्षा के मुख में दुनुमान जी के द्वारा प्रवेश की शानदार झांकी का एवं भडारे का आयोजन किया।

**उत्तर मध्य रेलवे**

अनुबंध के आधार पर एक (02) होम्योपथिक परमर्शदाता की नियुक्ति

केंद्रीय अस्पताल उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज एवं उप मंडल विकासनालय, उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर में अनुबंध के आधार पर दो (02) होम्योपथिक परमर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन अमंत्रित किया जाते हैं, जो हमारी वेसाइट [< समाप्त >](https://nrc.indianrailways.gov.in) और घोषणा < भर्ती < नियुक्ति < अनुबंध होम्योपथिक परमर्शदाता पर उपलब्ध जाती और नियमों पर आधारित है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओर नियुक्ति के लिए जारी की जाती है।

इच्छुक अमंत्रित व्यक्ति को आवेदन की ओ